न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारी: भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री महादेवजी मूर्ति मन्दिर बडगांव के भक्तजन–

1. श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री नथाजी जाति सुथार निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
3. श्री लसाराम पुत्र श्री खंगारजी जाति मेघवाल निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
4. श्री जोताराम पुत्र श्री हीराजी जाति रेबारी निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
5. श्री भबूतसिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री शिवलाल पुत्र श्री रूपाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
3. श्री भेरा पुत्र श्री हंसाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
4. श्री लाखा पुत्र श्री हंसाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
5. श्री जेठा पुत्र श्री हंसाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
6. श्री गणेशराम पुत्र श्री दलाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
7. श्री कानाराम पुत्र श्री दलाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
8. श्री चम्पालाल पुत्र श्री पूनाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
9. श्री नाथा पुत्र श्री लाला जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
10. श्रीमती सेकू पत्नि श्री लालाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
11. सुश्री लासी पुत्री श्री लालाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
12. सुश्री लक्ष्मी पुत्री श्री लालाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।(क्र.सं. 11 व 12 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता सेकू अप्रार्थी संख्या 10)
13. श्री नेमाराम पुत्र श्री [illegible] जाति [illegible] निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
14. श्री मंछाराम पुत्र श्री [illegible] जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

15. श्री मांगीलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
16. श्री भबुताराम पुत्र श्री धन्नाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
17. श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री धन्नाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
18. श्री केसाराम पुत्र श्री धन्नाजी जाति माली निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 47/2019

उपस्थितिः

(1) श्री अश्विन मरडिया, राजकीय अधिवक्ता।
(2) अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा, प्रार्थीगण की ओर से।
(3) अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणाा, अप्रार्थीगण की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक 12.11.2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि ग्राम बडगांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 कुल रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा की भूमि श्री महादेव मन्दिर मूर्ति जिसे महादेवजी की वाडी के नाम से पुकारते है, की है। जमाबन्दी भू–प्रबन्ध मौजा बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही सम्वत् 2001 में माफी मन्दिर महादेवजी के नाम से दर्ज थी। यह है कि मन्दिर व उसकी भूमि की व्यवस्था सिरोही रियासत के जिम्मे रखे जाने का उल्लेख राजस्व रेकर्ड में है एवं ऐसा उक्त उल्लेख संवत 2008 तक इसी प्रकार कायम रहा है। संवत 2009–2012 के कृषि विवरण प्रलेख में उक्त भूमि मन्दिर महादेवजी के नाम से अंकित है व जैर निगरानी के कालम में जगा, हीरा, समा व जसा माली, जो महादेवजी मूर्ति मन्दिर के पुजारी थे, के नाम अंकित है। इसके पश्चात संवत 2013–2016 की खतौनी में उपरोक्त मन्दिर महादेवजी जैर निगरानी सरकार अंकित है एवं इसके कालम संख्या 5 में जगा, हीरा, समा, जसा के नाम दर्ज करते हुए उन्हें शिकमी अंकित किया है। इसके पश्चात संवत 2017–2020 तक की जमाबन्दी में उक्त भूमि महादेवजी मन्दिर के नाम जैर निगरानी सरकार दर्ज है। इसके पश्चात संवत 2021–2024 की जमाबन्दी में भूमिधारी के कालम में माफी मन्दिर जैर निगरानी सरकार को हटाकर उसके स्थान पर श्री सरकार अंकित किया है एवं कॉलम संख्या 5 में जगा, हीरा, समा व जसा अंकित है। यह है कि संवत 2025 की जमाबन्दी में कॉलम संख्या 5 में रूपा, सवा, चुना, धन्ना [illegible] दर्ज किया गया और ऐसा करने का कोई कारण या आधार का [illegible] र्ड में दर्ज नहीं किया गया। उक्त इन्द्राज के पश्चात [illegible] के नाम दर्ज होते रहे। यह है कि संवत 2009–2012 की खसरा गि[illegible] में भूमिधारी कॉलम 5 में माफी मन्दिर महादेवजी जैर निगरानी सरकार अंकित है एवं कॉलम संख्या 6 में हीरा, जसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मेघवाल केसा बिलानाम व खुदकाश्त दो भावली अंकित है। इसी कॉलम में आगे दीगर ढेड केसा एक, मोबतींग एक, बिलानाम खुद काश्त दो दिगर कपूरा, जेठा राजपूत केसा अंकित है व ऐसा उल्लेख निरन्तर 2012 तक है। गिरदावरी संवत 2013–2016 में कॉलम 5 में माफी मन्दिर व कॉलम 6 में जगा, हीरा, समा, जसा शिकमी अंकित है। गिरदावरी संवत 2017–2020 की गिरदावरी में कॉलम 5 में माफी मन्दिर व कॉलम 6 में जगा, हीरा, समा व जसा अंकित है एवं उनके आगे शिकमी अंकित है। यह है कि संवत 2021 से 2024 की खसरा गिरदावरी में कॉलम 5 में माफी मन्दिर महादेव को हटाकर उसके स्थान पर श्री सरकार अंकित है व कॉलम संख्या 6 में जगा, हीरा, समा व जसा अंकित है। इसी प्रकार संवत 2020–2023 की खसरा गिरदावरी में कॉलम 5 में श्री सरकार व कॉलम 6 में जगा, हीरा, समा व जसा अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 18 व उनके पूर्व रसाधिकारीगण का उक्त महादेवजी की भूमि को खातेदारी में दर्ज होने का अंकन विधि विरूद्ध है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि महादेवजी मूर्ति मन्दिर शाश्वत अवयस्क विवादित भूमिधारक न्यायिक व्यक्ति है एवं जागीर पुनः ग्रहण के समय उनकी कृषि भूमि पर खुद काश्त थी, जिससे जागीर पुनः ग्रहण के समय महादेवजी मूर्ति द्वारा धारक कृषि भूमि उनके खुदकाश्त की भूमि होने से जागीर पुनग्रहण पर उक्त भूमि महादेव मन्दिर मूर्ति के नाम खुद काश्त भूमि दर्ज की जानी थी, जो नहीं करने से गलत इन्द्राज कर अप्रार्थी संख्या 02 से 18 के नाम हुई। यह है कि महादेवजी मूर्ति शाश्वत अवयस्क एवं अप्रार्थीगण उक्त मन्दिर मूर्ति के पुजारी थे एवं मन्दिर की कृषि भूमि उनकी निगरानी में रही, जिससे मन्दिर की ओर से खुदकाश्त भूमि का इन्द्राज होते हुए भी उक्त भूमि को न तो मूर्ति के नाम खुदकाश्त भूमि अंकित हुआ और न ही मन्दिर मूर्ति के नाम खातेदारी में अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक ने मन्दिर मूर्ति को खातेदारी के अंकन से वंचित रखा है एवं मन्दिर की करोडों रूपए की कृषि भूमि को अप्रार्थीगण ने अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा कर हथियाली है। यह है अप्रार्थीगण अब उक्त भूमि को विक्रय कर धन अर्जित करने में प्रयत्नशील है। अतः अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार अंकन हटाया जाकर मन्दिर मूर्ति के नाम अंकित जाना आवश्यक है। यह है कि बडगांव स्थित मन्दिर महादेवजी को महादेवजी की वाडी के नाम से भी पुकारा जाता है एवं सिरोही रियासत में जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 2001 के राजस्व रेकर्ड में क्रमांक 122 पर यह अंकित है। यह है कि उक्त मन्दिर की कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम अथवा उनके पूर्वरसाधिकारियों के नाम अंकित करने का कोई आदेश किसी भी सक्षम अधिकारी या न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी का अंकन विधि विरूद्ध एवं निरस्त योग्य है। अतः उक्त विवादित कृषि भूमि के खसरा संख्या 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 वाके ग्राम बडगांव में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी का अंकन हटाकर उसके स्थान पर बडगांव में महादेव मूर्ति मन्दिर जिसे महादेवजी की वाडी के नाम से भी पुकारा जाता है, के नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुए एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। [illegible], अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मन्दिर मूर्ति जो कि शाश्वत [illegible] है की उक्त भूमि पर पुजारी

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगणों के पूर्वरसाधिकारियों के नाम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकारिता के राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है एवं वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या दो से 18 के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में मन्दिर मूर्ति की भूमि को खातेदारी दर्ज की गई। जमाबन्दी भू–प्रबन्ध मौजा बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही सम्वत् 2001 में माफी मन्दिर महादेवजी के नाम से दर्ज थी। यह है कि मन्दिर व उसकी भूमि की व्यवस्था सिरोही रियासत के जिम्मे रखे जाने का उल्लेख राजस्व रेकर्ड में है एवं ऐसा उक्त उल्लेख संवत 2008 तक इसी प्रकार कायम रहा है। संवत 2009–2012 के कृषि विवरण प्रलेख में उक्त भूमि मन्दिर महादेवजी के नाम से अंकित है व जैर निगरानी के कालम में जगा, हीरा, समा व जसा माली, जो महादेवजी मूर्ति मन्दिर के पुजारी थे, के नाम अंकित है। इसके पश्चात संवत 2013–2016 की खतौनी में उपरोक्त मन्दिर महादेवजी जैर निगरानी सरकार अंकित है एवं इसके कालम संख्या 5 में जगा, हीरा, समा, जसा के नाम दर्ज करते हुए उन्हें शिकमी अंकित किया है। इसके पश्चात संवत 2017–2020 तक की जमाबन्दी में उक्त भूमि महादेवजी मन्दिर के नाम जैर निगरानी सरकार दर्ज है। इसके पश्चात संवत 2021–2024 की जमाबन्दी में भूमिधारी के कालम में माफी मन्दिर जैर निगरानी सरकार को हटाकर उसके स्थान पर श्री सरकार अंकित किया है एवं कॉलम संख्या 5 में जगा, हीरा, समा व जसा अंकित है। यह है कि संवत 2025 की जमाबन्दी में कॉलम संख्या 5 में रूपा, सवा, चुना, धन्ना पिसरान जैसा को पहली बार खातेदार दर्ज किया गया है, जो गलत है। इस संबंध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2019(2) आर.आर.टी. 1448 राज्य सरकार बनाम रामु एवं 2018(1) आर.आर.टी. 373 राज. राज्य बनाम मनोहरलाल व अन्य पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित कृषि भूमि के खसरा संख्या 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 वाके ग्राम बडगांव में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी का अंकन हटाकर उसके स्थान पर बडगांव में महादेव मूर्ति मन्दिर जिसे महादेवजी की वाडी के नाम से भी पुकारा जाता है, के नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम बडगांव तहसील शिवगंज में अप्रार्थीगण के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 कुल किता 07 कुल रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा है। उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि, मन्दिर श्री महादेवजी मूर्ति की कृषि भूमि कभी नहीं रही है। यह है कि उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारी उनके स्वयं के खातेदारी हक अधिकारों से खेती करते आ रहे है एवं अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारीगण उक्त कृषि भूमि के रेकार्डेड खातेदार कृषक है। यह है कि जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त ग्राम बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही के संवत 2001 में प्रश्नगत कृषि भूमि मन्दिर महादेव के नाम दर्ज होने का कथन गलत है। यह है कि मन्दिर व उसकी [illegible] व्यवस्था सिरोही रियासत के जिम्मे रखे जाने का उल्लेख भी राजस्व रेकर्ड में होने का कथन गलत है। यह है कि उक्त कृषि भूमि पर संवत 2012 के पूर्व से ही अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारी काबिज काश्त रहे है। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी प्रश्नगत कृषि भूमि के विधि में खातेदार कृषक बन चुके है एवं उक्त कृषि भूमि का लगान राजस्थान राज्य ने 105/–रूपए 50 पैसे निर्धारित किया है, जो अप्रार्थीगण व उनके पूर्वरसाधिकारी राजस्थान राज्य को अदा करते आ रहे है। यह है कि प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारी शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज रहे है एवं शिकमी काश्तकार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार खातेदारी हक अधिकार विधि में प्राप्त हुए है। यदि प्रश्नगत कृषि भूमि मन्दिर की कृषि भूमि होती तो उक्त कृषि भूमि का लगान राजस्थान राज्य द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। यह है कि राजस्व रेकर्ड राजस्थान राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा ही संधारित किया जाता है। यह है कि प्रश्नगत कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण व उनके पूर्वरसाधिकारी संवत 2012 के पूर्व से काबिज काश्त होने से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारियों को वैध रूप से प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार कृषक होने का अंकन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में किया है। यह है कि प्रश्नगत कृषि भूमि से मन्दिर की व्यवस्था का कभी भी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। यह है कि अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारी संवत 2012 के पूर्व से लगातार खेती करते आ रहे है। प्रश्नगत कृषि भूमि सिचिंत कृषि भूमि है, जिस पर पुराना कुंआ खुदा हुआ है, जिसका रखरखाव अप्रार्थीगण व उनके पूर्वरसाधिकारी करते आ रहे है एवं उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी नेमाराम के पिता श्री समाराम पुत्र श्री मनरूपजी माली के नाम विद्युत कनेक्शन लिया हुआ था। यह है कि प्रार्थीगण गांव बडगांव के अधिकृत प्रतिनिधी नहीं है। अतः प्रार्थीगण को ग्राम बडगांव की जनता की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। यह है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत कृषि भूमि का लगान गत 60 वर्षो से अधिक समय से अदा करते आ रहे है। अतः प्रार्थीगण ने उक्त रेफरेन्स अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है। इस वास्ते प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने के उद्देश्य से बदनियतीपूर्वक प्रस्तुत किया है, जिससे अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से विशेष हर्जाना रूपए 20,000/– प्राप्त करने के अधिकारी होने से उक्त विशेष हर्जाना दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम बडगांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 कुल किता 07 कुल रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा की कृषि भूमि श्री महादेव मूर्ति के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी भू–प्रबन्ध मौजा बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही सम्वत् 2001 में माफी मन्दिर [illegible] थी, जो संवत 2008 तक की जमाबन्दी अनुसार बदस्तूर चलती रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2009–201[illegible] के कृषि विवरण [illegible] उक्त भूमि मन्दिर महादेवजी स्थान देह के नाम से अंकित है व गैर निगरानी [illegible] में श्री [illegible]गा वल्द श्री पदमा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

श्री हीरा वल्द श्री देवा, श्री समा वल्द श्री मनरूप व श्री जसा वल्द समरथा माली, जो महादेवजी मूर्ति मन्दिर के पुजारी थे, के नाम अंकित है। इसके पश्चात संवत 2013–2016 की खतौनी जमाबन्दी में उपरोक्त मन्दिर महादेवजी स्थान देह जैर निगरानी सरकार अंकित है एवं इसके कालम संख्या 5 में श्री जगा वल्द श्री पदमा, श्री हीरा वल्द श्री देवा, श्री समा वल्द श्री मनरूप व श्री जसा वल्द समरथा माली के नाम दर्ज करते हुए उन्हें सा. देह शिकमी अंकित किया है। इसके पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खतौनी संवत 2017–2020 तक की जमाबन्दी में उक्त भूमि महादेवजी मन्दिर के नाम स्थान देह गैर निगरानी सरकार दर्ज है एवं इसके कालम संख्या 5 में श्री जगा वल्द श्री पदमा, श्री हीरा वल्द श्री देवा, श्री समा वल्द श्री मनरूप व श्री जसा वल्द समरथा माली के नाम दर्ज करते हुए उन्हें सा. देह शिकमी अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खतौनी संवत 2021–2024 से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में भूमिधारी के कालम में माफी मन्दिर गैर निगरानी सरकार को हटाकर उसके स्थान पर श्री सरकार अंकित किया है एवं इसके कालम संख्या 5 में श्री जगा वल्द श्री पदमा, श्री हीरा वल्द श्री देवा, श्री समा वल्द श्री मनरूप व श्री जसा वल्द समरथा माली के नाम अंकित है। यह है कि संवत 2025–2028 की जमाबन्दी खतौनी से स्पष्ट है कि संवत 2025 की जमाबन्दी में कॉलम संख्या 5 में श्री सरकार के नाम को हटाकर श्री रूपा एवं श्री हंसा गोद जगा, श्री हीरा वल्द श्री देवा, श्री समा वल्द श्री मनरूप, श्री चुना एवं श्री धन्ना पिसरान जैसा माली को पहली बार सा.देह खातेदार दर्ज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संवत 2025–2028 की जमाबन्दी में श्री सरकार के नाम को हटाकर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारो को सा. देह खातेदार दर्ज करने का कोई कारण या आधार का उल्लेख रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया। यह है कि संवत 2025 से बदस्तूर प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थीगण व उनके रसाधिकारियों के नाम बदस्तूर खा. देह खातेदार दर्ज रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2009–2012 की खसरा गिरदावरी में भूमिधारी कॉलम 5 में माफी मन्दिर महादेवजी जैर निगरानी सरकार अंकित है एवं कॉलम संख्या 6 में हीरा, जसा मेघवाल केसा बिलानाम व खुदकाश्त दो भावरी अंकित है। इसी कॉलम में आगे दीगर ढेड केसा एक, मोबतींग एक, बिलानाम खुद काश्त दो दिगर कपूरा, जेठा राजपूत केसा अंकित है व ऐसा उल्लेख निरन्तर 2012 तक है। गिरदावरी संवत 2013–2016 में कॉलम 5 में माफी मन्दिर व कॉलम 6 में जगा, हीरा, समा, जसा शिकमी अंकित है। गिरदावरी संवत 2017–2020 की गिरदावरी में कॉलम 5 में माफी मन्दिर व कॉलम 6 में जगा, हीरा, समा व जसा अंकित है एवं उनके आगे शिकमी अंकित है। यह है कि संवत 2021 से 2024 की खसरा गिरदावरी में कॉलम 5 में माफी मन्दिर महादेव को हटाकर उसके स्थान पर श्री सरकार अंकित है व कॉलम संख्या 6 में जगा, हीरा, समा व जसा अंकित है। इसी प्रकार संवत 2020–2023 की खसरा गिरदावरी में कॉलम 5 में श्री सरकार व कॉलम 6 में जगा, हीरा, समा व जसा अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 18 व उनके पूर्व रसाधिकारीगण का उक्त महादेवजी की भूमि को खातेदारी में दर्ज होने का अंकन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] होता है कि अप्रार्थी संख्या 02 से 18 एवं उनके रसाधिकारियों के [illegible] जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 बिना किसी आधार एवं [illegible] दर्ज कर दिया गया, जो कानूनन गलत है। यह कि मन्दिर मूर्ति शास्[illegible] है एवं मन्दिर मूर्ति की भूमि पर पुजारी का नाम बतौर खातेदार [illegible] है, जो कानूनन गलत है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रकार, मन्दिर भूमि पर दी गई खातेदारी राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी मन्दिर मूर्ति की भूमियों पर खातेदारी अधिकार पाने का किसी को अधिकारी नहीं माना है, क्योंकि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 2019(2) आर.आर.टी. 1448 राज्य सरकार बनाम रामु एवं 2018(1) आर.आर.टी. 373 राज. राज्य बनाम मनोहरलाल व अन्य का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि माननीय राजस्व मण्डल ने मन्दिर मूर्ति की भूमियों पर खातेदारी अधिकार पाने का किसी को अधिकारी नहीं माना है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध विभाग ने जमाबन्दी 2001 की जमाबन्दी को नजर अंदाज कर कॉलम संख्या 4 में मन्दिर का नाम श्री महादेवजी मूर्ति का स्थान देह का अंकन होते हुए भी खतौनी जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 में मन्दिर के नाम को विलोपित करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 से 18 के नाम सा. देह खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा का यह इन्द्राज अधिकारिता से परे है जो राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है।

यह कि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 02 से 18 के पूर्व रसाधिकारियों का उक्तानुसार गलत तौर पर बतौर खातेदार नाम दर्ज हो जाने के बाद अप्रार्थी संख्या 02 से 18 मन्दिर मूर्ति की भूमि पर बतौर खातेदार दर्ज हो गए। इस प्रकार, मंदिर मूर्ति जो कि शाश्वत नाबालिग है, की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 से 18 का राजस्व रेकर्ड पर आना नियमों के विपरीत है, इस कारण से मंदिर मूर्ति की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 से 18 का नाम भी राजस्व रेकर्ड पर बतौर खातेदार दर्ज रहने योग्य नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम बडगांव, तहसील– शिवगंज जिला सिरोही के खतौनी जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत 2025 से 2028 के खसरा नम्बर 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 कुल किता 07 कुल रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा भूमि मन्दिर श्री बडगांव में महादेव मूर्ति मन्दिर जिसे महादेवजी की वाडी के नाम से भी पुकारा जाता है, के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किये जाने के आदेश दिये जाते है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पक्षकारान दिनांक 24.12.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली मय निर्णय की अतिरिक्त प्रति के सुनवाई तिथि से पूर्व प्रेषित की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
ज़िला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner